आयोग में रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार अत्याधिक ध्यान दे रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31-1-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(घ) वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1-1-1992 से 31-1-1993 तक किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा दिया गया है । आयोग ने महिलाओं से संबंधित कुछ कानूनों तथा विधानों का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उनमें कई संशोधनों की सिफारिश की है । रिपोर्ट में आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम, सती निवारण अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, अवयस्क बच्चों के क्रय एवं विक्रय संबंधी प्रावधानों, महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम हेतु उपयुक्त निकायों के सृजन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के विशेष प्रयास करने हेतु कई संशोधनों की सिफारिश की है ।

**[nstiontions for Foreign Students**

4966. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, be, pleased to, state;

(a) whether Government have set up a committee to study the feasibility of throwing open select institutions of higher learning to foreign students;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the effect of the scheme on the availability of seats to Indians?

THE DEPUTY MINISTER IN THE 'MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) According to the information furnished by UGC the Commission has set up a Committee, comprising eminent academicians and educational administrators, to work, out modalities for providing educational opportunities to foreign students as also to generate resources for higher education. The Committee has not yet finalised its recommendations.

**स्कूलों को दी गई सुविधायें**

**4967. श्री अन्नतराम जायसवाल**
**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में 5 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कितने बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पेयजल और मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी न तो अपनी इमारत है और न ही खेल का मैदान है ;

(घ) दोनों आयु वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कुल कितने-कितने बच्चों को पिछले वर्ष प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में दाखिल किया गया है तथा उनमें से कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 50 प्रतिशत छात्र प्राथमिक और मिडिल स्तर के शिक्षा सत्र के बीच में या उसके समाप्त होने पर पढ़ना छोड़ देते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?